यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बरः—68 / 2019 प्रार्थना पत्र
-श्री शंकर लाल पिता रामेश्वर शर्मा, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री श्यामलाल पिता रामेश्वर शर्मा, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री सत्यनारायण पिता रामेश्वर शर्मा, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थीगण

बनाम

-श्री रोहित पिता विमल कुमार जोशी, उम्र बालिग निवासी 2—बी—24, न्यू हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर—भीलवाड़ा (राजस्थान)
-श्री लादूलाल पिता रामचन्द्र शर्मा, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
-श्री अम्बालाल पिता रामचन्द्र शर्मा, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
-श्री कैलाश चन्द्र पिता रामचन्द्र शर्मा, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
-श्री दुर्गालाल पिता भूरालाल शर्मा, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—29.3.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दांथल ार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 976 रकबा 01 बिस्वा, रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के सी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की ाजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.2.2019 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4 व 6 के सम्मन बाद तामिल हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4, व 6 को कितनी ही मर्तबा वत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 28.3.2019 को एक ा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 5 का सम्मन अदम तामिल हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 5 के विरूद्व कोई वाही नहीं चाहने के कारण दिनांक 28.3.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गयी ।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक ा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते ब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, ल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित ाल आराजी नम्बर 976 रकबा 01 बिस्वा, 977 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा मि की सीमा ज़ानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर युक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर कारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, लवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner